

5

2022/78

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी जि. चिचोडगढ़

अ. नं. 128 एल. आ. नं. बनाम अज्ञात

किस्म मुकद्दमा उ. नं. 128 एल. आ. सं. 53/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/4/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>सिराई</u>.....</p> <p>ग्राम..... की</p> <p>आ.न. <u>248, 538/250, = 3.24 ई. 249</u> की</p> <p>विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>30000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

Dr.
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

